राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.22(5)न्याय/2020 जयपुर, दिनांकः 12.1.2022

:: आज्ञा ::

राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के नियमों के अन्तर्गत उप विधि परामर्शी के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 12.08.2021 को आयोजित की गई। जिसमें वर्ष 2021–22 के रिक्त पदों के विरूद्ध विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में श्री शुभकरण, सहायक विधि परामर्शी (पात्रता सूची क्रमांक 1) के पर्याप्त वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने के कारण इनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाकर इनके लिये 01 पद सुरक्षित रखते हुए इनकी पदोन्नति का प्रकरण स्थगित (डैफर) किया गया था।

श्री शुभकरण के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध होने पर विभागीय पदोन्नति समिति की वर्ष 2021–22 के रिक्तियों के विरूद्ध पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 10.01.2022 को आयोजित की गई। जिसमें समिति की अभिशंषा के अनुसार श्री शुभकरण, सहायक विधि परामर्शी का चयन होने के कारण वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर उप विधि परामर्शी के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री महेश चन्द्र यादव के ऊपर रहेगी।

श्री शुभकरण का उप विधि परामर्शी के पद पर वेतन श्रृंखला **PB-3, 15600-39100 GP-19, (7200) L-18** में दिनांक 01.04.2021 की रिक्तियों के विरूद्ध वेतन निर्धारण किया जायेगा।

श्री शुभकरण का पदोन्नति पर पदस्थापन यथावत रखा जाता है।

आज्ञा से

12.1.22

(प्रवीर भटनागर)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. संबंधित अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि कार्यग्रहण कर, कार्यग्रहण रिर्पोट इस विभाग को अविलम्ब भिजवाये।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

12.1.2022

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)
संयुक्त शासन सचिव